रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2015/कार्तिक 21, 1937
No. 697] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015/KARTIKA 21, 1937

वाणिज्य और उ ोग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नव बर, 2015

सा.का.नि. 852(अ).—क ीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद म निदेशक के पद के लिए नि नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र म इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - (1) - इन नियमों म, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अध्यक्ष' से राष्ट्रीय डिजाइन की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) 'निदेशक' से राष्ट्रीय डिजाइन का निदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अभिप्रेत है ;

(ङ) 'चयन समिति' से क ीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों म प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्ह परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 म परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम म हैं ।

3. निदेशक की नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि-- कोई व्यक्ति निदेशक के रूप म नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके पास -

(क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिजाइन म मास्टर डिग्री नहीं है ;

(ख) उसके पास अध्यापन या उद्योग या अनुसंधान म कम से कम पन ह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

(ग) उसके पास प्रौद्योगिकी या डिजाइन के क्षेत्र म राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अभिज्ञता म किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सिद्ध अभिलेख होना चाहिए ।

4. नियुक्ति की पद्धति-- (1) निदेशक के पद पर भर्ती क ीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी ।

(2) चयन समिति निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए इसकी अपनी प्रकिया का अनुसरण करेगी ।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि क ीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां क ीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्ह लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. पदावधि- निदेशक उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

8. पद त्याग और समाप्ति- (1) निदेशक यदि अपना पद त्यागना चाहता है तो अध्यक्ष को लिखित रूप म तीन मास पूर्व नोटिस देगा :

परंतु जब तक क ीय सरकार द्वारा शीघ्र पद त्याग अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तब तक निदेशक नोटिस की अवधि के अवसान तक या स यक् रूप से नियुक्त उसका प्राधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है या उसकी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(2) क ीय सरकार किसी व्यक्ति को निदेशक के पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया घोषित किया गया है ; या

(ख) उसे किसी अपराध म दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसम क ीय सरकार की राय म नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से निदेशक के रूप म कार्य करने म असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हों, जो निदेशक के रूप म उसके कृत्यों पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ; या

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर :

परंतु निदेशक को उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और इस संबंध म क ीय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा जांच करवाए बिना खंड (ख) से (च) म विनिर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा ।

9. **मुख्यालय या तैनाती का स्थान** – निदेशक का मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात म होगा ।

10. **निदेशक का वेतन, भत्ते, इत्यादि**- निदेशक, पीबी-4, 37400-67000 रु. जमा ग्रेड वेतन 10000 रु. और ऐसे भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा, जो केन ीय सरकार के समान ग्रेड वेतन म किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हैः

परन्तु यदि निदेशक के रूप म नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि म नियोजक अभिदाय के रूप म कोई सेवानिवृति प्रसुविधाएं या सेवानिवृति प्रसुविधाओं के अन्य रूप, प्राप्त करता है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार बना है तो ऐसे निदेशक के वेतन म से पेंशन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि म नियोजक का अभिदाय या सेवानिवृति प्रसुविधाओं का कोई अन्य रूप, यदि कोई (उपदान के समान पेंशन के सिवाय) उसके द्वारा आहृत किया गया है या आहृत किया जाना है, घटाया जाएगाः

परन्तु यह और कि निदेशक की नियुक्ति के पश्चात न तो वेतन और भत्तों म और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों म उसके अहितकर रूप म परिवर्तन किया जाएगा।

11. **यात्रा भत्ता**- निदेशक, प्रवास पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान म पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान म उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर प्रस्थान करने के लिए) यात्रा भत्ते इत्यादि का वैसे ही हकदार होगा, जैसे केन ीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू होंगे ।

12. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी**- अध्यक्ष, निदेशक की छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा ।

13. विदेश म सरकारी यात्राएं- निदेशक द्वारा विदेश म सरकारी यात्राएं केवल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और केन ीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी, और वह ऐसी यात्रा के संबंध म ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर आहृत करने का हकदार होगा जैसे केन ीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू हैं ।

14. **चिकित्सा उपचार हेतु सुविधाएं**- निदेशक केन ीय स्वास्थ्य सेवाओं म यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों म जहां केन ीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रचालन म नहीं है, वहां निदेशक केन ीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 म यथाउपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा ।

15. **आवास**- निदेशक केन ीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा लागू निवासी आवास का हकदार होगा ।

16. **वाहन की सुविधा**- निदेशक, भारत सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय वाहन सुविधा का हकदार होगा ।

[फा. सं. 5/24/2013-आईपीआर-V]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव